XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या 111/2005

(धारा 21 B.P.H.T. Act अंतर्गत)

श्री श्री 108 रामजानकी ठाकुर बाड़ी

द्वारा – सेवायत राम शंकर भगत, पिता–स्व0 देव नारायण भगत, साकिन–गंगापुर, टोला मिरचाईबाड़ी, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ .... आवेदक

बनाम

1. राज्य
2. रवीन्द्र यादव
3. पंकज यादव
4. बलबीर यादव

तीनो का पिता – देवनारायण यादव, साकिन–गंगापुर, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ।

आ दे श

आवेदक रामशंकर भगत श्री श्री 108 रामजानकी ठाकुरबाडी का सेवा यत है और प्रष्नगत जमीन मौजा गंगापुर, खाता सं0–397, खेसरा सं0–480/2437, रकवा 12 डिसमिल में से 8 डिसमिल जमीन का बासगीत पर्चा विपक्षी के नाम से अंचल अधिकाकरी, बनमनखी के बासगीत पर्चा अभिलेख सं0–19/03–04 दिनांक 08.07.2003 को निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी के उक्त आदेष के विरूद्ध आवेदक यह पुनरीक्षण वाद दाखिल किया गया है।

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत जमीन ठाकुरबाड़ी की है और विपक्षीगण गलत ढंग से कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को मेल में लेकर बासगीत पर्चा बनवा लिया है। यहाँ तक कि पर्चा निर्गत करने से पूर्व आवश्यक मापदण्ड को भी नजर अंदाज किया। जिस भू–स्वामी के नाम नोटिस निर्गत किया गया, वे कई वर्ष पूर्व स्वर्गीय हो गए हैं और न ही उन्हें कोई संतान था। फिर भी पर्चा निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने हेतु आवेदक द्वारा यह पुनरीक्षण वाद दायर किया है।

विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत जमीन पर वे लोग अपने दादा के समय से ही भू–स्वामी की सहमति से घर बनाकर रह रहे हैं। विपक्षीगण गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले व्यक्ति हैं और इस जमीन के अतिरिक्त उनलागों को और कहीं भी जमीन नहीं है। विपक्षीगण को सरकार द्वारा

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

लालकार्ड, अन्त्योदय योजना अंतर्गत किरास न तेल कूपन तथा इन्दिरा आवास भी मिला है। अतः अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत पर्चा विधिसम्मत है। अतः आवेदक द्वारा दायर इस पुनरीक्षण वाद को खारिज करने का अनुरोध विपक्षीगण कर रहा है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को दिनांक 27.12.2010 को सुना गया। आवेदक का कथन है कि मृत व्यक्ति को जमीन मालिक देखते हुए वासगीत पर्चा निर्गत कर दिया गया है। विषयांकित जमीन पर एक टाईटल वाद भी चल रहा है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा वर्णित टाईटल वाद में वे पक्षकार नहीं हैं। अंचल में अमीन के प्रतिवेदन (नक्शा सहित) से स्पष्ट है कि उसका दखल–कब्जा है। वासगीत पर्चा हेतु आवेदन देते समय विषयांकित जमीन के जमाबंदी रैयत श्री राम प्रसाद जीवित थे।

पुनः दिनांक 04.03.2011 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत है एवं इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस निर्णय के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

28/3/11

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

28/3/11

समाहर्त्ता
पूर्णियाँ